

29.10.2021

प्रार्थी नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह जाति राजपूत निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प हरियाढाणा में धारा-88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खोजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2184 रकबा 1.0193 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2185 रकबा 1.0193 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2203 रकबा 1.5937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2204 रकबा 4.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2210 रकबा 2.3623 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2229 रकबा 1.4158 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2231 रकबा 0.7686 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2232 रकबा 1.1164 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2233 रकबा 2.0630 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2234 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2235 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2241 रकबा 1.2863 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2242 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2243 रकबा 1.6827 हैक्टेयर कुल खसरा 14 कुल रकबा 22.4903 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता संग्रामसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की थी। संग्रामसिंह का देहान्त हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम नैनसिंह के बजाय करणसिंह लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नैनसिंह है तथा सरकारी दस्तावेज भी नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में करणसिंह पुत्र संग्रामसिंह के स्थान पर नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी नैनसिंह ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। तथा वादी के समर्थन में अपना गवाह रामसिंह पुत्र जालमसिंह के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी नैनसिंह का आधारकार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरियाढाणा द्वारा जारी की गयी टी.सी. नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 आदि को पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 29.10.2021 को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल




सहायक कलेक्टर

एच.ए.ए.ए. अधिकारी

बिलाड़ा

पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में करणसिंह गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। एवं मैं कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा हूं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम नैनसिंह के बजाय करणसिंह दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम खोजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2184 रकबा 1.0193 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2185 रकबा 1.0193 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2203 रकबा 1.5937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2204 रकबा 4.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2210 रकबा 2.3623 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2229 रकबा 1.4158 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2231 रकबा 0.7686 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2232 रकबा 1.1164 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2233 रकबा 2.0630 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2234 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2235 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2241 रकबा 1.2863 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2242 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2243 रकबा 1.6827 हैक्टेयर कुल खसरा 14 कुल रकबा 22.4903 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में करणसिंह पुत्र संग्रामसिंह के स्थान पर नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम हरियाढाणा में खुले में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
बिलाड़ा
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा



अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्दादाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाणा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी
नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह
जाति राजपूत निवासी हरियाणा
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा


दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 120 / 2021

निर्णय

दिनांक :- 29.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खोजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2184 रकबा 1.0193 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2185 रकबा 1.0193 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2203 रकबा 1.5937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2204 रकबा 4.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2210 रकबा 2.3623 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2229 रकबा 1.4158 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2231 रकबा 0.7686 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2232 रकबा 1.1164 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2233 रकबा 2.0630 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2234 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2235 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2241 रकबा 1.2863 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2242 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2243 रकबा 1.6827 हैक्टेयर कुल खसरा 14 कुल रकबा 22.4903 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में करणसिंह पुत्र संग्रामसिंह के स्थान पर नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।



(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करे। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा